

**दीव में सार्वजनिक स्थलों पर शराब सेवन पर प्रशासन सख्त ।**

**पकड़े जाने पर होगी दंडात्मक कार्रवाई ।**

**दीव, 02 दिसम्बर, 2021 :-** दीव में हाल के दिनों में देखने में आया है कि बहुत से लोग शराब खरीद कर शराब की दुकानों या सार्वजनिक स्थलों पर ही शराब पीने लगते हैं जो पूर्णतः अनुचित है । बहुत से लोग समुद्र तटीय क्षेत्रों में पेय पदार्थों /शराब का सेवन कर काँच की बोतलें जहाँ-तहाँ फेंक देते हैं और कुछ लोग उसे तोड़कर फेंक देते हैं, जो उचित नहीं है। जिला प्रशासन को कुछ शिकायतें भी मिली हैं कि लोग समुद्र तटों पर शराब पीकर अपमानजनक व्यवहार करते हैं तथा आपस में हिसंक झड़पें कर लेते हैं जो सर्वथा अनुचित है।

इस तरह की गतिविधियों के कारण किसी को गंभीरे चोटें आ सकती है तो किसी की मौत भी हो सकती है और सार्वजनिक और निजी संपत्तियों का नुकसान भी हो सकता है । इससे इस क्षेत्र की शांति भी प्रभावित होती है और कानून और व्यवस्था को बनाए रखने में समस्या भी आती है।

उक्त को ध्यान में रखते हुए दीव समाहर्ता एवं जिलाधीश श्रीमती सलोनी राय ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत आदेश जारी करते हुए हिदायतें दी है कि दीव के नागरिक /पर्यटक/ आगंतुक कोई भी व्यक्ति शराब / मादक पेय वस्तुओं / पदार्थों का सेवन समुद्री तटों और उसके पास बने दीवारों, सार्वजनिक स्थलों, शहर के मुख्य मार्गों, पार्किंग स्थलों, बस स्टैंड, फुटपाथ, गलियों, प्लाजा, जेटी पर या इसके आस-पास न करें।

यदि कोई भी व्यक्ति उक्त स्थलों पर शराब या मादक पेय पदार्थों / वस्तुओं की सेवन करते पाया जाता है तो उस व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी ।